सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 26.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 26.05.2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय मे जनसुनवाई किया गया। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 26.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

- **शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी 01 नफर वांछित अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे।**
- **थाना उसका बाजार पुलिस को मिली सफलता।**

डॉ0 अभिषेक कुमार महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम मे "अपराध की रोकथाम एंव अपराधियों की गिरफ्तारी" के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के तहत व प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में व हरेकृष्ण उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना उसका बाजार के निर्देशन मे आज दिनांक 26.05.2025 को थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 80/2025 धारा 69 BNS से सम्बन्धित अभियुक्त सुजीत को तेतरी तिराहा से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

01.सुजीत पुत्र झकरी साकिन गौरा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

01.उ0नि0 रुदल प्रसाद चौरसिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

02.का0 शेषनाथ यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 26.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना डुमरियागंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 26.05.2025 को वाद सं0 24/2017 मु0अ0सं0 42/2016 धारा 354 भादवि, 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)X। एससी/एसटी एक्ट थाना डुमरियागंज मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पे0 पॉक्सो एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त राकेश पाण्डेय पुत्र जयन्त्री पाण्डेय निवासी अन्दुआ शनिचरा थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी बावनजीत थाना डुमरियागंज का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 26.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या का प्रयास के 03 आरोपियों को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को ₹ 7,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 26.05.2025 को वाद सं0 68/2015 मु0अ0सं0 84/1993 धारा 147, 148, 149, 323, 324, 325, 307, 504 भादवि थाना इटवा मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01 जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01.त्रिभुवन, 02.परमात्मा पुत्रगण भगौती, 03.रामलखन पुत्र भागीरथी निवासीगण सुहिया थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 147, 148, 149, 323, 324,307 भादवि में 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को ₹ 7,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी संजय थाना इटवा का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 26.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा थाना कपिलवस्तु पुलिस के साथ थाना कपिलवस्तु के अलीगढ़वा भारत नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया।

डॉ. अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 26-05-2025 को मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा आपरेशन कवच के तहत थाना कपिलवस्तु पुलिस के साथ थाना कपिलवस्तु के अलीगढ़वा भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया और एसएसबी के साथ भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, आपसी समन्वय बढ़ाने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में वार्ता की गयी।

प्रेस नोट दिनांक 26.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ जनपदीय पुलिस द्वारा आगामी त्यौहार तथा जनपद में कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/ थाना क्षेत्रो में चेकिंग/पैदल गश्त कर आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 26.05.2025 को समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा आगामी त्यौहार ईद-उल-जुहा (बकरीद) तथा जनपद में कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु रुट मार्च व चेकिंग किया गया तथा अपने-अपने सर्किल/ थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हॉट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों के आस पास के क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहनों की गहनता से चेकिंग/पैदल गश्त तथा आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया व आपस में सौहार्द बनाये रखने हेतु अपील की गयी।